

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-20/राजस्व/राहत/2005/891 रायपुर, दिनांक 2/09/2013
प्रति,

समस्त अपर मुख्यसचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय रायपुर

विषय:—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने बाबत ।

संदर्भ:— इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.01.2009, पत्र दिनांक 02.09.2009 एवं पत्र दिनांक 01.12.2012 तथा पत्र दिनांक 10.07.2013

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। भारत सरकार गृह मंत्रालय, अंतर्राज्यीय परिषद्, सचिवालय, नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1/15/2013-ISC दिनांक 08.08.2013 की छायाप्रति संलग्न है ।


इस संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई-दिल्ली से प्राप्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की गाईड-लाइन भेजकर अनुरोध किया गया था कि विभागवार आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन अनुक्रिया हेतु प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा जाना है। इस संबंध में आपके विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अभी तक आपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि विभागवार आपदा प्रबंधन योजना एवं आपदा प्रबंधन हेतु भारत सरकार, योजना आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव तैयार कर इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



YVS
Chame
2/9/13


(चंद्रकांत उड्क)
उप सचिव 4.13
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग